RNI No. MAHBIL /2009/31730
Reg. No.MCS/170/2016-18

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग सात

वर्ष ३, अंक ३३] बुधवार, ऑक्टोबर १८, २०१७/आश्विन २६, शके १९३९ [पृष्ठे ४, किंमत : रुपये ४७.००

असाधारण क्रमांक ५७

प्राधिकृत प्रकाशन

अध्यादेश, विधेयके व अधिनियम यांचा हिंदी अनुवाद (देवनागरी लिपी)

सहकारिता, विपणन तथा वस्त्रोद्योग विभाग

मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांकित १२ सितम्बर २०१७।

MAHARASHTRA ORDINANCE No. XX OF 2017.

AN ORDINANCE

FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA AGRICULTURAL PRODUCE MARKETING (DEVELOPMENT AND REGULATION) ACT, 1963.

महाराष्ट्र अध्यादेश क्र. २०, सन् २०१७।

महाराष्ट्र कृषि उपज विपणन (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९६३ में अधिकतर संशोधन करने संबंधी अध्यादेश।

क्योंकि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा है;

और क्योंकि महाराष्ट्र के राज्यपाल का समाधान हो चुका है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं जिनके कारण उन्हें, इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र कृषि उपज विपणन (विकास और विनियमन) अधिनियम, १९६३ में अधिकतर संशोधन करने के लिए सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ है;

सन् १९६४ का २०।

अब, इसलिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३ के खण्ड (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महाराष्ट्र के राज्यपाल, एतद्द्वारा, निम्न अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं, अर्थात्:—

संक्षिप्त नाम और प्रारंम्भण।

१. (१) यह अध्यादेश महाराष्ट्र कृषि उपज विपणन (विकास और विनियमन) (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, २०१७ कहलाए।

(२) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

सन् १९६४ का महा. २० की धारा १५क में संशोधन।

२. महाराष्ट्र कृषि उपज विपणन (विकास और विनियमन) अधिनियम, १९६३ (जिसे इसमें आगे, " मूल अधिनियम " कहा गया है) की धारा १५क की उप-धारा (१), के खण्ड (ख), के परन्तुक में, " एक वर्ष " शब्दों के स्थान में, " देढ़ वर्ष " शब्द रखे जायेंगे। सन् १९६४ का २०।

सन् १९६४ का २० की धारा ४५ में संशोधन।

३. मूल अधिनियम की धारा ४५ की उप-धारा (२) के परन्तुक में, " छह महीने से अधिक न हो अवधि बढ़ा दी जायेगी " शब्दों के स्थान में, " एक वर्ष से अधिक न हो अवधि बढ़ा दी जायेगी " शब्द रखे जायेंगे।

वक्तव्य।

महाराष्ट्र कृषि-उपज विपणन (विकास और विनियमन) अधिनियम, १९६३ (सन् १९६४ का महा. २०), बाजार क्षेत्रों में कृषक और कतिपय अन्य उपज के विपणन और राज्य में, उसके लिये स्थापित निजी बाजारों और किसान उपभोक्ता बाजारों समेत, बाजारों के विकास और विनियमन करने और ऐसे बाजारों के संबंध में या बाजारों से संबंधित प्रयोजनों के लिये कार्य करने के लिए गठित की जानेवाली बाजार समितियों को शक्तियाँ प्रदान करने के लिये और बाजार समिति के प्रयोजनों के लिए, बाजार निधि स्थापित करने और उपरोक्त मामलों से संबंधित प्रयोजनों के लिये, उपबंध करने के लिये अधिनियमित किया गया हैं।

२. उक्त अधिनियम की धारा १५क, सदस्यों की सामान्य या विस्तारित पदावधि के अवसान के पश्चात्, प्रशासक या प्रशासक बोर्ड की नियुक्ति के लिये उपबंध करती हैं। उक्त धारा १५(क) की, उप-धारा (१) का खण्ड (ख), उपबंध करता हैं कि, निदेशक या ऐसे प्राधिकृत अधिकारी द्वारा नियुक्त प्रशासक या प्रशासक बोर्ड, आदेश में विनिर्दिष्ट दिनांक से दिनांक, जिस पर निर्वाचन होने के पश्चात्, पुनर्गठित समिति की पहली बैठक हुई के दौरान की अवधि तक (जिसे, इस धारा में " उक्त अवधि " विनिर्दिष्ट किया गया हैं), समिति के कार्य का प्रबंध करेगा। ऐसा निर्वाचन, प्रशासक या प्रशासक बोर्ड के पद धारण करने के दिनांक से छह महीने की अवधि के भीतर लिया जायेगा। उक्त धारा १५क की उप-धारा (१) के खण्ड (ख) का परंतुक उपबंध करता हैं कि, प्रशासक या प्रशासक बोर्ड की छह महीनों की उक्त अवधि, राज्य सरकार द्वारा, समय-समय से, अपवादात्मक परिस्थितियों में, **राजपत्र** में अधिघोषणा द्वारा, कारणों के लिये, जो अधिसूचना में भी कथित हो, कुल मिलाकर एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिये बढ़ायी जा सकेगी।

उक्त अधिनियम की धारा ४५ की, उप-धारा (२) का खण्ड (ग), **अन्य-बातों के साथ-साथ,** उक्त धारा ४५ की, उप-धारा (१) के अधीन, अधिष्ठित बाजार समिति के कार्यों को कार्यान्वित करने के लिये, प्रशासक या प्रशासक बोर्ड की नियुक्ति के लिये उपबंध करता हैं। उक्त धारा ४५ की, उप-धारा (२) के खण्ड (ग) का, परंतुक उपबंध करता हैं कि, बाजार समिति के कार्यों को कार्यान्वित करने के लिये, खण्ड (ग) के अधीन नियुक्त, प्रशासक या प्रशासक बोर्ड, प्रभार ग्रहण करने के छह महीने की अवधि के भीतर, सुनिश्चित करेगा कि, बाजार समिति के निर्वाचन उसी अवधि के भीतर लिये गये। यदि प्रशासक या प्रशासक मंडल, उक्त अवधि के भीतर निर्वाचन लेने में विफल होते है, तब निदेशक, निर्वाचन न लेने के लिये उचित समर्थन के बारे में स्वयं समाधानी होने के पश्चात्, ऐसे निर्वाचन लेने के लिये प्रशासक या प्रशासक बोर्ड को समर्थ करने के लिये, छह महीनों से अनधिक अवधि बढा सकेगा और प्रभावी मार्गदर्शन देने में वह सक्षम होगा।

३. महाराष्ट्र के राज्यपाल ने, महाराष्ट्र कृषि उपज विपणन (विकास और विनियमन) (संशोधन) अध्यादेश, २०१७ (सन् २०१७ का महा. अध्या. क्र.९), (जिसे इसमें आगे " उक्त अध्यादेश " कहा गया हैं) १३ जून, २०१७ को प्रख्यापित किया था; और २४ जुलाई, २०१७ को राज्य विधानमंडल के पुनःसमवेत होने पर, उक्त अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के अधिनियम में बदलने के लिये, महाराष्ट्र कृषि उपज विपणन (विकास और विनियम) (संशोधन) विधेयक, २०१७ (वि. स. विधेयक क्र. ४१ सन् २०१७), ८ अगस्त, २०१७ को महाराष्ट्र विधान सभा द्वारा पारित किया गया था और महाराष्ट्र विधान परिषद को पारेषित किया गया था ; तत्पश्चात्, महाराष्ट्र विधान परिषद का सत्र ११ अगस्त, २०१७ को सत्रावसित होने के कारण उक्त विधेयक महाराष्ट्र विधान परिषद द्वारा पारित नहीं हो सका था। भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३ (२)(क) द्वारा यथा उपबंधित उक्त अध्यादेश, राज्य विधानमंडल के पुनःसमवेत होने के दिनांक से छह सप्ताह के अवसान पर, अर्थात् ३ सितम्बर, २०१७ को प्रवृत्त होने से परिविरत होगा और उक्त अध्यादेश के उपबंधों को जारी रखना इष्टकर समझा गया हैं। इसलिये, महाराष्ट्र कृषि उपज विपणन (विकास और विनियमन) (संशोधन तथा जारी रहना) अध्यादेश, २०१७ (सन् २०१७ का महा. अध्या. क्र. १७) ३१ अगस्त, २०१७ को प्रख्यापित किया गया था। उक्त अध्यादेशों द्वारा उक्त अधिनियम की धाराएँ १३, १४ और १४क संशोधित की गई है। तब की विद्यमान धाराएँ १३, १४ और १४क, कलक्टर और जिला उप-रजिस्ट्रार द्वारा बाजार समितियों के निर्वाचन संचालिन करने और उससे संबंधित या अनुषंगिक मामलों के लिये उपबंध करती हैं और उस प्रयोजन के लिये, महाराष्ट्र कृषि उपज विपणन (विकास तथा विनियमन) नियम, १९६७ में समुचित नियम बनाये गये हैं।

उक्त अध्यादेश द्वारा उक्त धारा १३, १४ और १४क के संशोधन के कारण, बाजार समितियों के निर्वाचन कलक्टर और जिला उप-रजिस्टार द्वारा करने के बजाय, राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण द्वारा किये जाने की आवश्यकता है और उस प्रयोजन के लिए समुचित नियमों को बनाए जाने की आवश्यकता है। समुचित नियमों को बनाने के लिए कुछ समय की आवश्यकता है, जिससे उक्त अधिनियम की धारा १५क, की उप-धारा (१) के खण्ड (ख) के परन्तुक में संशोधन करना इष्टकर है, ताकि अपवादात्मक परिस्थितियों में, अधिसूचना में कथित किया जाए ऐसे कारणों के लिए, **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा, छह महीने से उक्त अवधि कुल मिलाकर देढ वर्षों से अधिक न हों बढ़ाने के लिए राज्य सरकार को सशक्त किया जा सके। इसीतरह, उक्त धारा ४५ की, उप-धारा (२) के खण्ड (ग) के, परन्तुक में, संशोधन करना इष्टकर है ताकि यदि प्रशासक या प्रशासक बोर्ड उक्त अवधि के भीतर निर्वाचन कराने में असफल होता है तो, निर्वाचन न कराने के उचित समर्थन के बारे में उसका समाधान होने के पश्चात्, ऐसा निर्वाचन कराने के लिए प्रशासक या प्रशासक बोर्ड समर्थ बनाने के लिए एक वर्ष से अधिक न हो ऐसा अवधि बढ़ाने के लिए निदेशक को सशक्त करता है।

तदनुसार, उपर्युक्त प्रयोजनों को प्राप्त करने के लिए उक्त अधिनियम की धारा १५क और ४५ में यथोचित संशोधन करना है।

४. राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा है; और महाराष्ट्र के राज्यपाल का यह समाधान हो चुका है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं जिनके कारण उन्हें, उपर्युक्त प्रयोजनों के लिए महाराष्ट्र कृषि उपज विपणन (विकास और विनियमन) अधिनियम, १९६३ (सन् १९६४ का महा. २०) में अधिकतर संशोधन करने के लिए सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ है, अतः यह अध्यादेश प्रख्यापित किया जाता है।

मुंबई,
दिनांकित ११ सितम्बर, २०१७।

चे. विद्यासागर राव,
महाराष्ट्र के राज्यपाल।

महाराष्ट्र के राज्यपाल के आदेश तथा नाम से,

विजय कुमार,
शासन सचिव।

(यथार्थ अनुवाद),
हर्षवर्धन जाधव,
भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य।

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI.